महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

नैक द्वारा B+ की ग्रेडिंग प्राप्त
उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय

सूचना अधिकार अधिनियम –2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत 16 विषयों की सूचना

1. **संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य**

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की कर्मभूमि और भारतीय समाजवाद एवं समाजवादी आन्दोलन की कार्यशाला रही है। महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के गर्भ से उद्‌भूत इस संस्था की स्थापना राष्ट्ररत्न बाबू शिवप्रसाद गुप्त के संस्थापकीय संकल्प, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा और भारतरत्न डॉ0 भगवानदास की प्रतिभा के वृहत्रयी संयोग से हुई। इसकी नींव अन्य किसी ने नहीं, बल्कि महात्मा गांधी ने स्वयं बसंतपंचमी, गुरूवार सौर 28, सम्बत् 1977 वि0, तद्‌नुसार 10 फरवरी सन् 1921 ई0 को रखी। गांधी जी के 'बहिष्कार' आन्दोलन में सरकारी सहायता से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर शामिल आचार्यों एवं छात्रों ने यहां आचार्यत्व एवं छात्रत्व ग्रहण किया। राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी डेढ़ दशक इस अर्न्तद्वन्द्व में बीता कि शासन से सहायता ली जाय या नहीं, लेकिन अन्ततः सन् 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विद्यापीठ ने 'विश्वविद्यालय के समकक्ष (डीम्ड यूनिवर्सिटी)' की मान्यता ली और 10 जनवरी 1974 को यह राज्य शासन का अधिनियमित विश्वविद्यालय बना। स्वतंत्रता आन्दोलन काल से इस विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण इतिहास को स्वीकार करते हुए सन् 1996 में संस्था के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यापीठ को विशेष 'कौस्तुभ जयन्ती अनुदान' प्रदान किया।

स्वतंत्रता के पूर्व क्रमशः डॉ0 भगवानदास, आचार्य नरेन्द्रदेव एवं बाबू श्रीप्रकाश ने जहां विद्यापीठ के कुलपति के रूप में नेतृत्व किया, वहीं उसके आचार्यमण्डल में उनके अतिरिक्त सर्वश्री आचार्य जे0बी0कृपलानी, बाबू सम्पूर्णानन्द, आचार्य बीरबल सिंह, मुंशी प्रेमचन्द, दामोदर स्वरूप सेठ, यज्ञ नारायण उपाध्याय, प्रो0 राजाराम शास्त्री, प्रो0 मुकुटबिहारी लाल, मोतीचन्द, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, वी0वी0 केसकर आदि से लेकर टी0एन0 सिंह, पं0 कमलापति त्रिपाठी और रूस्तम सैटिन आदि तक शामिल थे।

काशी विद्यापीठ के प्रथम संचालक मण्डल में महात्मा गांधी, डॉ0 भगवानदास, लाला लाजपत राय, जमना लाल बजाज, पं0 जवाहर लाल नेहरू, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, आचार्य नरेन्द्र देव, कृष्णकान्त मालवीय, पुरूषोत्तम दास टंडन, दामोदर जोशी और स्वामी श्रद्धानन्द जैसी राष्ट्रीय विभूतियां शामिल थीं। प्रथम निरीक्षक सभा में इनके अतिरिक्त पं0 गोविन्द बल्लभ पंत और गणेश शंकर विद्यार्थी भी शामिल थे। इसके संस्थापना समारोह में पं0 मोतीलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उपस्थित थे।

स्वतंत्रता संघर्ष काल तथा इसके यशस्वी छात्रों एवं स्नातकों की कड़ी में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, पं0 कमलापति त्रिपाठी, प्रो0 राजाराम शास्त्री, अलगू राय

शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, वी0वी0 केसकर, मन्मथनाथ गुप्त, प्रणवेश चटर्जी, टी0एन0 सिंह, हरिहर नाथ शास्त्री और रामसुभग सिंह आदि से लेकर रामकृष्ण हेगड़े, सुन्दरलाल बहुगुणा और कलराज मिश्र आदि तक अनेक उल्लेखनीय नाम है। भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं और समाजसेवी संस्थाओं में विद्यापीठ के स्नातक रहे है।

उद्देश्य

लोकतंत्र, सभी धर्मों की तात्विक एकता पर आधारित सर्वधर्मसमभाव, प्रखर राष्ट्रीयता, समाजवाद एवं लोककल्याणकारी आदर्श, गांधीवादी चिन्तन एवं रीति–नीति के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से परम्परागत एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान से भावी पीढ़ियों को संस्कारित करना विद्यापीठ का संस्थापकीय संकल्प एवं परम्परागत उद्देश्य रहा है। संस्थापकीय संकल्प में ही हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान–विज्ञान के शिक्षण एवं विकास में योगदान देने का जहां सुस्पष्ट उल्लेख है, वहीं संस्था के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए यह भी उल्लिखित है कि 'अध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठापित भारतीय शिष्टता के संस्कार और विकास में, भारत में बसी हुई सब जातियों के भारतीय समाज में यथासम्भव सन्निवेश तथा भारत में प्रचलित आचार–विचार के समन्वय में, स्वाधीनता एवं स्वदेश प्रेम के भाव के साथ–साथ लोकसेवा और मानवमात्र की बन्धुता के भाव के संचार में तथा भारत के प्राचीन एवं नवीन शास्त्र, शिल्प, ज्ञान–विज्ञान आदि की वृद्धि एवं प्रचार करने में सहायता देना।'

2 विश्वविद्यालय के अधिकारी

1. कुलाधिपति
2. कुलपति
3. वित्त अधिकारी
4. कुलसचिव
5. परीक्षा नियंत्रक
6. संकायों के संकायाध्यक्ष
7. छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष
8. विश्वविद्यालय कार्य परिषद् के सदस्य
9. ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 10 के अधीन कुलाधिपति को अधोलिखित अधिकार एवं शक्तियां होंगी–

1. राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।
2. सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी
3. कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।
4. कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

कुलपति – उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 13 के अधीन कुलपति की अधोलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे–

1. कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा और :–
   क. विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संस्थान और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा,
   ख. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा,
   ग. कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा,
   घ. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा,
   ङ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।
2. वह कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।
3. उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।
4. कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और (धारा 10 तथा 68 के अधीन) कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो उस निमित्त आवश्यक हो।
5. कुलपति को कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशनों को बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

   परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

6. जहां (विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न) कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में मामले के संबंध में कार्यवाही करते हों;

   परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला

कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगा या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस तिथि से जब तक उसे ऐसे कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

7. उपधारा 6 में की गयी किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नही समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।
8. जहां कुलपति द्वारा उपधारा–6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की हो, तो ऐसी नियुक्ति , विहित रीति से नियुक्ति की जाने पर अथवा कुलपति के आदेश से छः मास की कालावधि के अवसान पर जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।
9. कुलपति ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रतिकुलपति (जब कोई हो)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 14 के अधीन प्रतिकुलपति की अधोलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे–

1. यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय को और किसी अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
2. यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति–कुलपति नियुक्त कर सकेगा।
3. उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।
4. प्रति–कुलपति कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।
5. प्रति–कुलपति को तीन सौ रूपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।
6. प्रति–कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय–समय पर इन निमित्त विनिर्दिष्ट करे तथा कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपे तथा प्रत्यायोजित करे।

वित्त अधिकारी

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 15 के अधीन
वित्त अधिकारी की अधोलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे–

1. विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
2. वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट(वार्षिक अनुदान) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
3. उसे कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा।
4. वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–
   क– यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए।
   ख– किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो,
   ग– यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना,
   घ– यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।
5. वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य–कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।
6. वित्त अधिकारी विश्वविद्यालयों की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।
7. वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां तथा कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जायं।

कुलसचिव (रजिस्ट्रार)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 16 के अधीन
कुलसचिव की अधोलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे–

1. कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
2. धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति की जायगी और उसकी सेवा की शर्तें उनके अधीन होंगी ।
3. कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।
4. कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा समान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद्,

प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायं या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

5. कुलसचिव को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 16–क के अधीन परीक्षा नियंत्रक की अधोलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे–

1. यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद गोरखपुर कानपुर विश्वविद्यालयों पर तथा उन अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होंगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजटमें अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय।
2. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
3. परीक्षा नियंत्रक की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कर नियुक्ति होगी तथा उसके पारिश्रमिक एवं भत्ते का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।
4. परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह सभी ऐसी सूचनाएं जो उसके कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो, ऐसी समिति के समक्ष रखेगा। वह समय–समय पर कार्य परिषद या कुलपति द्वारा निर्गत परिनियमों एवं अध्यादेशों में विहित ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा आवश्यक हो।

   परन्तु इस उपधारा के आधार पर वह मत देने का अधिकारी न होगा। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जैसा आवश्यक हो, विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्था से विवरणी प्रस्तुत करने या ऐसी सूचना देने, जैसी आवश्यक हो, की अपेक्षा कर सकेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा तथा इस संबंध में उसमें कुलसचिव की सभी शक्ति निहित रहेगी।
6. परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का सम्पादन करेगा तथा उसकी सभी अन्य व्यवस्थाएं करेगा तथा उससे सम्बन्धित सभी आदेशिकाओं के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।
7. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार के आदेश के सिबाय न तो कोई पारिश्रमिक प्रस्तावित करेगा, न ही स्वीकार करेगा।

8. जब परीक्षा नियंत्रक किन्हीं कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो, परीक्षा नियंत्रक के कार्य पर वापस आने या रिक्ति भरने (जैसी भी स्थिति हो) तक उसके पद के सभी कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव

प्रशासनिक सहायता हेतु शासन से नियुक्त **उपकुलसचिव** तथा **सहायक कुलसचिव** भी विश्वविद्यालय में होंगे।।

संकायाध्यक्ष–

इस विश्वविद्यालय में अधोलिखित संकाय हैं:–

1. मानविकी संकाय
2. समाज विज्ञान संकाय
3. समाजकार्य संकाय
4. वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय
5. शिक्षाशास्त्र संकाय
6. विधि संकाय
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय
8. चिकित्सा विज्ञान संकाय
9. मदन मोहन मालवीय हिन्दी पत्रकारिता संस्थान
10. छात्र कल्याण संकाय

क– प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
ख– संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह –

(1) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन तथा

(2) संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है –

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया कुलपति जी की अध्यक्षता में विद्या परिषद्– शिक्षा संबंधी, वित्त समिति– वित्त सम्बन्धी, प्रवेश समिति– प्रवेश संबंधी, परीक्षा समिति– परीक्षा संबंधी तथा कार्य परिषद् द्वारा अध्यादेश, नियम, विनियम तैयार कर की जाती है (विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या– 8 में देखें)।

4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए कुलपति की अध्यक्षता में कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद्, वित्त समिति, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा शोध उपाधि समिति द्वारा नियम, परिनियम, अध्यादेश आदि बनाकर मापमान स्थापित किया जाता है।

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–

अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कृत्यों के निर्वहन के लिए विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली में वर्णित नियम, विनियम, निर्देशिका के अनुसार आबद्ध हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली में अध्यापकों के लिए आचरण संहिता परिशिष्ट 'ग' में दी गई है जो इस प्रकार है–

यतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओतप्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है;

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाय :

1. प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता से करेगा।
2. कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा, न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।
3. कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरूद्ध या अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरूद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।
4. कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद–भाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।
5. कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं करेगा।
6. कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।
7. कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक गृह शिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षाएं नहीं चलायेगा।
8. सभी अध्यापक कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।
9. शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहां तक सम्भव हो अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश लेगा।
10. विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।
11. विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण परिप्रेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।
12. प्रत्येक अध्यापक लोकतंत्र, देश भक्ति और शान्ति के उपदेशों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शारीरिक श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करेगा और

15 अगस्त, 2 अक्टूबर तथा 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर स्वदेशी की भावना जागृत करने हेतु यथासंम्भव खादी वस्त्रों का प्रयोग करेगा और छात्र छात्राओं को भी प्रेरित करेगा।

शिक्षणेत्तर कर्मियों हेतु आचरण नियमावली

1. प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के संबंध में उच्च कोटि की सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा।
2. प्रत्येक कर्मचारी कुलपति/कुलसचिव तथा उनके अतिरिक्त जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है उसके आदेशों का सत्यनिष्ठा से पालन करेगा।
3. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी किसी भी स्थानीय निकाय अथवा विधानसभा/लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकता है। इसकी अवज्ञा करने पर कार्य परिषद् द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
4. कोई भी कर्मचारी किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को विश्वविद्यालय की कोई पत्रावली, प्रपत्र अथवा आदेश की जानकारी नहीं देगा। प्रमाणित होने पर गोपनीयता भंग करने के आरोप में उसे निलम्बित अथवा सेवा से पृथक किया जा सकता है।
5. कोई भी कर्मचारी किसी व्यापार अथवा व्यवसाय से अपने को सम्बद्ध नहीं कर सकता है।
6. कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित किसी मामले अथवा प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में, जिस पर निर्णय होना हो, किसी भी माध्यम से किसी प्राधिकारी के सदस्य से सिफारिश नहीं करा सकता है।
7. प्रत्येक कर्मचारी की सेवा का विवरण मुद्रित सेवा पुस्तिका पर सरकारी कर्मचारियों की भांति रखा जायेगा।
8. परीक्षा गोपनीय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होगा कि यदि उनका कोई आश्रित विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो उसकी लिखित सूचना कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक को दे।
9. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर राज्य कर्मचारी आचरण–नियम लागू होंगे।

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण –

   विश्वविद्यालय के समस्त अभिलेख व दस्तावेज आदि कुलसचिव के नियंत्रण में रहते हैं तथा परीक्षा संबंधी अभिलेख व दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त एवं लेखा सम्बन्धी अभिलेख वित्त अधिकारी के नियंत्रण में रहते हैं।

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं –

   विश्वविद्यालय में ऐसा निकाय सभा है जो नीति निर्माण में लोक सदस्यों के परामर्श से कार्य करती है (सभा के गठन, कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या–8 में उल्लिखित है)।

8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी–

विश्वविद्यालय में अधोलिखित प्राधिकारी हैः—

(1) कार्य परिषद्
(2) सभा
(3) विद्यापरिषद
(4) वित्त समिति
(5) संकायों के बोर्ड
(6) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां
(7) प्रवेश समिति
(8) परीक्षा समिति और
(9) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जायें।

कार्यपरिषद्

कार्य परिषद का गठन— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 20 एवं 21 के अधीन कार्यपरिषद् का गठन, शक्तियां एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे—

1. कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा
2. प्रतिकुलपति, यदि कोई हो,
3. दो संकायों के संकायाध्यक्ष विहित रीति में चक्रानुक्रम से नियुक्त सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आचार्यों तथा उपाचार्यों में से दो सदस्य विहित रीति में चक्रानुक्रम से नियुक्त सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा।
4. सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये 4 सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा (परन्तु इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो)।
5. कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा (परन्तु इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो)।

कार्य परिषद् की शक्तियां एवं कर्त्तव्य— क— कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थात—

1. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना
2. विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना,
3. परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना,
4. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालयों के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना,
5. विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,
6. परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि—छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

7. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थाई आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना,

8. परीक्षकों की फीस, उपलब्धियॉ तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,

9. किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना,

10. संस्थानों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, छात्र निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,

11. विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार, प्रकार तथा प्रयोग के संबंध में निर्देश देना,

12. विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना,

13. विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे,

14. विश्वविद्यालय किसी के धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिहित करना और समय–समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तित करना,

15. विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनाों की व्यवस्था करना,

16. विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना,

17. अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों से संबंधित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना,

18. राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय के किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबंध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी ओर न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

ख– राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद् बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये देने के) न तो अन्तरण करेगी ओर न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम

लेगी।

ग– राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय (अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार) कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में सृजित नहीं किया जायेगा।

ग–1 कार्य परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लियन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समानुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवा निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके।

परन्तु ऐसे समानुदेशन की अवधि के लिए अध्यापक को विश्वविद्यालय से कोई वेतन देय नहीं होगा।

घ– विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या कोई सम्बद्ध महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायं।

ङ– कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

च– विद्या परिषद और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना, कार्य परिषद अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी,

छ– कार्य परिषद सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति, की गई कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

ज– कार्य परिषद परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी।

सभा – उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 22, 23 तथा 24 के अधीन सभा का गठन, शक्तिया एवं कर्तव्य अधोलिखित होंगे–

सभा में अधोलिखित सदस्य होंगे–

1. कुलाधिपति
2. कार्यपरिषद के सदस्य

3. वित्त अधिकारी
4. आजीवन सदस्य–किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य था।
5. विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित धटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष
6. मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संकायों के संकायाध्यक्ष यदि वे कार्य परिषद् के सदस्य न हों।
7. विश्वविद्यालय तथा संस्थानों के छात्रावासों के वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति से चक्रानुक्रम से किया जाना है।
8. राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय के सभी प्राचार्य
9. 15 अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है।
10. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है।
11. पंजीकृत स्नातकों के 15 प्रतिनिधि, पंजीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जाएंगे जो विश्वविद्यालय/किसी संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों, छात्र–निवास या छात्रावास की सेवा में न हों तथा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध न हों
12. प्रत्येक संकाय का एक छात्र, जो उस संकाय में, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात विश्वविद्यालय (इसके अर्न्तगत सम्बद्ध महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं) में किसी स्नातकोत्तर उपाधि या विधि अथवा मेडिकल या इंजीनियरिंग उपाधि के शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो। (इन सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा)
13. विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित, उसके दो सदस्य (इन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा)
14. विधानसभा द्वारा निर्वाचित, उसके पांच सदस्य (इन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा)

सभा की शक्तियां तथा कर्त्तव्य सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

1. विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपायों का सुझाव देना।
2. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना।
3. कुलाधिपति की किसी ऐसे विषय के संबंध में जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना और
4. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएं।

सभा का अधिवेशन

1. सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तिथि को होगा, जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है, और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा।
2. कुलपति जब कभी वह ठीक समझे सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा तथा सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

विद्यापरिषद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 25 के अधीन विद्यापरिषद् का गठन, शक्तिया एवं कर्तव्य अधोलिखित होंगे–

1. विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्ध में रहते हुए –
क– विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;
ख– विद्या संबंधी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित विषय भी हैं, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी; और
ग– उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्त्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाए।

विद्यापरिषद् में अधोलिखित सदस्य होंगेः–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	सभी संकाय के संकायाध्यक्ष	सदस्य
3.	विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों	
5.	संस्थानों के निदेशक	सदस्य
6.	सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य जिनका चक्रानुक्रमसे ज्येष्ठताक्रम में, जो विहित रीति से चयन किया गया हो	सदस्य
7.	15 अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया गया हो।	सदस्य
8.	छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष	सदस्य
9.	विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष	

10. शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रीति से सहयोजित किये जाए — सदस्य

(परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट करेगा।)

वित्त समिति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 26 के अधीन वित्त समिति का गठन, शक्तिया एवं कर्तव्य अधोलिखित होंगे–

वित्त समिति में अधोलिखित सदस्य होंगे–

1. कुलपति
1.1 राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव
1.2 राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव
2. प्रति कुलपति यदि कोई हो तो
3. कुलसचिव
3.1 परीक्षा नियंत्रक
4. कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित ऐसा एक व्यक्ति जो कार्य परिषद या विद्या परिषद का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति न हो, और
5. वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

वित्त समिति के कार्य

1. वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी
2. वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां या कर्त्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायं।
3. जब तक कि वित्तीय परिणाम वाले किसी प्रस्ताव पर वित्त समिति की सिफारिश न हो तब तक कार्य परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी तथा यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो प्रस्ताव

को असहमति के कारणों सहित वित्त समिति को लौटा दिया जायेगा और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से पुनः असहमत होती है तो प्रकरण कुलाधिपति को संदर्भित किया जायेगा जिसका उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

संकाय— उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 27 के अधीन संकाय का गठन, शक्तिया एवं कर्तव्य अधोलिखित होंगे—

1. विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किये जायें।
2. प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाएं।
3. प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका संविधान (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किए जाएं।
4. प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता—क्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त यदि एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हों, तो प्रत्येक ऐसे संकाय के संकायाध्यक्ष का पद ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बीच विहित रीति से चक्रानुक्रमित होगा।

   परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के उपाचार्यों द्वारा और यदि कोई उपाचार्य नहीं है तो उस संकाय के अन्य अध्यापकों द्वारा चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में धारण किया जाएगा।
5. संकायाध्यक्ष संकाय बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वहः

   क— संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; तथा

   ख— संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।
6. विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।
7. विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाएं।
8. विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्ड/समिति को गठित किया जाएगा और एक अध्ययन बोर्ड/समिति को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

छात्र कल्याण बोर्ड–

छात्र कल्याण बोर्ड का गठन अधोलिखित प्रकार से होगाः–

1–	संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण बोर्ड	अध्यक्ष
2–	सभी संकायाध्यक्ष	सदस्य
3–	विनयाधिकारी/कुलानुशासक	सदस्य
4–	पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
5–	अध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति द्वारा मनोनीत एक महिला अध्यापक जिसे कम से कम 5 वर्ष के अध्यापन कार्य का अनुभव हो (अधिकतम तीन वर्ष के लिए)	सदस्य
6–	कुलपति द्वारा मनोनीत कार्य परिषद का एक सदस्य जो अध्यापक न हो (अधिकतम तीन वर्ष के लिए)	सदस्य
7–	विश्वविद्यालय सेवायोजन केन्द्र का प्रमुख	सदस्य
8–	छात्रसंघ का अध्यक्ष अथवा महामंत्री	सदस्य
9–	पिछले सत्र का स्वर्ण पदक प्राप्त एक छात्र जो वर्तमान सत्र में अध्ययन कर रहा हो (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
10–	पिछले सत्र की स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा भाग एक में सर्वोच्च अंक प्राप्त एक–एक छात्र (प्रत्येक संकाय से) (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
11–	कुलसचिव	सचिव

बोर्ड की शक्ति एवं कार्य

1. सेवायोजन के क्रियाकलापों को गतिशील बनाना।
2. छात्रों को रोजगार की रिक्तियों की सूचना देना।
3. बेरोजगार शिक्षित छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।
4. बेरोजगार छात्रों की अद्यावधि सूची रखना।
5. बुक बैंक से पाठ्यक्रम की पुस्तकों को निर्बल वर्ग के छात्रों में वितरित कराने की व्यवस्था करना।
6. रोजगार से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाओं को छात्रों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना।
7. छात्रों के स्वास्थ्य के संबंध में उचित व्यवस्था करना ।
8. अन्य छात्रोपयोगी कृत्य, जो समय–समय पर कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं।

सहायक संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण की नियुक्ति की विधि एवं मानदेय

1. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण की संस्तुति पर कुलपति द्वारा सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्षों की नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए की जायेगी परन्तु संकायाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर उसकी संस्तुति पर नियुक्त सभी सहायक संकायाध्यक्षों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा।

2. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति किसी सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष को अवधि की समाप्ति के पूर्व भी हटा सकते हैं।

3. सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्षों की संख्या कुलपति की सहमति से कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर निश्चित की जायेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि इनमें से एक सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष महिला अध्यापक होगी।

4. सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष के अध्यापन का अनुभव आवश्यक होगा।

5. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण तथा प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधि से समय–समय पर शासन द्वारा अनुमोदित मानदेय प्रदान किया जायेगा।

प्रवेश समिति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 28 के अधीन प्रवेश समिति का गठन, शक्तिया एवं कर्तव्य अधोलिखित होंगे–

1. विश्वविद्यालय में एक प्रवेश समिति भी होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में अधोलिखित प्रकार से होगाः–

1–	कुलपति	अध्यक्ष
2–	प्रति कुलपति (यदि कोई हो तो)	सदस्य
3–	समस्त संकायाध्यक्ष	सदस्य
4–	समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य
5–	दो उपाचार्य ज्येष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम में (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
6–	दो प्राध्यापक ज्येष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम में (दो वर्ष के लिए)	सदस्य
7–	एक महिला अध्यापक (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
8–	अनुसूचित जाति का एक अध्यापक (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
9–	मुख्य गृहपति	सदस्य
10–	कुलानुशासक / विनयाधिकारी	सदस्य
11–	कुलसचिव	सचिव

2. प्रवेश समिति को उतनी उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे।

3. विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानकों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान संस्थान में किसी पाठ्यक्रम के संबंध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप–समिति को भी नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

4. समिति सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए मापदण्ड या रीति जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है, के संबंध में कोई निर्देश दे सकेगी और ऐसे निर्देश महाविद्यालयों के लिए आबद्धकर होंगे।

5. क– विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति तथा नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये आदेशों से विनियमित होगा।

परन्तु इस खण्ड के अधीन अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में आरक्षण कुल स्थानों (सीटों) की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के उन श्रेणी पर भी लागू नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची से आच्छादित है।

ख– मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में प्रवेश तथा शिक्षा उपाधियों के पाठ्यक्रम में शिक्षण तथा आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धत्ति की औषधियों में प्रवेश जिसमें संख्या आदि सम्मिलित हैं, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत होंगे।

ग– किसी व्यक्ति द्वारा जानबुझ कर इस आदेश के उल्लंघन करने पर तीन माह का कारावास या 1000/– रू0 से अनाधिक के जुर्माने से या दोनों से जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट हो, से दण्डनीय होगा।

5(1) उपधारा (5) के खण्ड (क) अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जायेगा तथा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23 क की उपधारा –1 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैस उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन निमित्त नियमावली पर लागू होते हैं।

6. इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी।

परीक्षा समिति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 29 के अधीन परीक्षा समिति का गठन, शक्तिया एवं कर्तव्य अधोलिखित होंगे–

1. विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में अधोलिखित प्रकार गठित होगी ।

परीक्षा समिति का गठन–

1–	कुलपति	अध्यक्ष
2–	प्रति कुलपति (यदि कोई हो तो)	सदस्य
3–	समस्त संकायाध्यक्ष	सदस्य
4–	कार्य परिषद् का एक अध्यापक प्रतिनिधि	सदस्य
5–	विद्या परिषद का एक अध्यापक प्रतिनिधि	

	जो कार्य परिषद् का प्रतिनिधित्व न करता हो	सदस्य
6–	जिस विभाग से सम्बन्धित विषय पर विचार किया जायेगा उसका विभागाध्यक्ष	पदेन सदस्य
7–	कुलसचिव	सदस्य
8–	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य–सचिव

2. समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सरणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी अर्थात :
क– परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना,
ख– विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,
ग– परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद से सिफारिश करना,
घ– अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

3. परीक्षा समिति उतनी उप–समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप–समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने करने से सम्बन्धित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

4. इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या; यथास्थिति, किसी उप–समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा–3 के अधीन इस निमित्त शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

शोध उपाधि समिति

शोध उपाधि समिति का गठन अधोलिखित प्रकार से होगा–

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रति कुलपति (यदि कोई हो तो)	सदस्य
3.	सम्बन्धित संकायाध्यक्ष	सदस्य
4.	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सदस्य
5.	विभाग के सभी आचार्य	सदस्य
6.	विभाग के दो उपाचार्य एवं दो प्राध्यापक ज्येष्ठाक्रम से चक्रानुक्रम में (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
7.	कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ (दो वर्ष के लिए)	सदस्य

अन्य प्राधिकारी– विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वहीं होंगे, जो विहित किए जायं।

नोटः– उपरोक्त सभी समितियां परिषदें, बोर्ड आदि मुख्य रूप से छात्रों के लिए ही कार्य करते हैं तथा इनके कार्यवृत्त तक छात्रों की पहुंच होती है।

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में अध्यापकों हेतु आचार सहिता तथा कर्मचारियों के लिए आचरण नियमावली है (विस्तृत विवरण हेतु बिन्दु संख्या–5 को देखें)। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख है (बिन्दु संख्या 2 में विस्तृत विवरण उल्लिखित है)।

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबन्धित प्रतिकर प्रणाली सम्मिलित है–
राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य वेतनमान शिक्षकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–
विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई योजना हेतु राज्य सरकार से धन प्राप्त नहीं प्राप्त होता है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार से मात्र अनुदान प्राप्त होता है।

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं –
विश्वविद्यालय में ऐसा कोई सहायिकी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा–पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां–
विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई रियायत, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार नहीं प्रदान किये गये है।

14. किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों–
इलेक्ट्रानिक सूचना के रूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in तथा www.mgkvpresults.org पर विश्वविद्यालय संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं–
विश्वविद्यालय में अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों हेतु एक केन्द्रीय पुस्तकालय तथा इसके अतिरिक्त अधिकांश विभाग में अपना एक विभागीय पुस्तकालय भी है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां–
प्रो0 अवधराम, कुलपति, प्रथम अपीलीय अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी तथा श्री इन्दुपति झा, कुलसचिव, जनसूचना अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।